न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी : **शिवांगी स्वर्णकार,** आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 04/2015 (नि.पं.)
पंजीयन दिनांक 07.04.2015

पंचायत समिति चित्तौड़गढ़ जरिये विकास अधिकारी पंचायत समिति, चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

–निगराकार

बनाम

1–सीता देवी पत्नि राजेन्द्र कुमार भट्ट निवासी विजयपुर तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
2–ग्राम पंचायत विजयपुर जरिये सरपंच ग्राम पंचायत विजयपुर तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

–विपक्षीगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994 विरूद्ध ग्राम पंचायत विजयपुर द्वारा जारी पट्टा क्रमांक 03 बुक नम्बर 28 दिनांक 05.10.2009

उपस्थिति : 1–श्री अनिल बोहरा, अधिवक्ता निगराकार
2–श्री कैलाश चन्द्र झंवर, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1
3–श्री सुनिल बोहरा, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 2

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय

दिनांक 27.08.2019

निगराकार द्वारा यह निगरानी इस आशय की प्रस्तुत की है ग्राम पंचायत विजयपुर द्वारा गैर निगराकार संख्या 01 के पक्ष में आवासीय भूखण्ड का पट्टा कमांक 03 बुक नम्बर 28 से जरिये ग्राम पंचायत की संकल्प संख्या 03 दिनांक 05.10.2009 की अनुपालना में जारी किया गया जो कि आवासीय भूखण्ड के गैर निगराकार के कब्जे में होने के आधार पर जारी किया गया है जिस आबादी भूखण्ड पर ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया गया है वह एक खाली कब्जेशुदा भूखण्ड है एवं नियमानुसार खाली भूखण्ड को मात्र कब्जे के आधार पर नियमितिकरण नहीं किया जा सकता एवं खाली भूखण्ड पर पुश्तैनी पट्टा जारी नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा जो पट्टा जारी किया गया है वो न्याय नियम एवं वाकियाती तथ्यों तथा अनियमितितापूर्ण कार्यवाही कर

जिला कलेक्टर
चित्तौड़गढ़

विधि विरूद्ध रूप से जारी किया गया है। अतः निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर गैर निगराकार संख्या 1 के पक्ष में गैर निगराकार संख्या 2 ग्राम पंचायत विजयपुर द्वारा जारी किया गया पट्टा कमांक 3 दिनांक 05.10.2009 निरस्त किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सूचना पत्र जारी किये गये। अधीनस्थ ग्राम पंचायत की पत्रावली तलब की गई। विपक्षी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री कैलाश चन्द्र झंवर ने अधिकार पत्र एवं जवाब तथा विपक्षी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री सुनिल बोहरा ने अधिकार पत्र पेश किया। ग्राम पंचायत से तलबीदा रेकार्ड की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

अधिवक्ता निगराकार ने आवेदन में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि गैर निगराकार संख्या 2 ने गैर निगराकार संख्या 1 को आवासीय भूखण्ड का पट्टा कमांक 3 दिनांक 05.10.2009 ग्राम पंचायत के संकल्प संख्या 3 की अनुपालना में जारी किया गया है किन्तु ग्राम पंचायत विजयपुर ने जिस आबादी भूखण्ड पर गैर निगराकार संख्या 1 को पट्टा जारी किया है वह एक खाली भूखण्ड है एवं नियमानुसार खाली भूखण्ड पर मात्र कब्जे के आधार पर बिना विधिक प्रकिया अपनाये नियमितिकरण नहीं किया जा सकता तथा उक्त भूखण्ड पर किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य होना स्वयं गैर निगराकार संख्या 1 ने भी कथन नहीं किया है। अतः खाली भूखण्ड का पुश्तैनी पट्टा जारी नहीं किया जा सकता है। उक्त पट्टा जारी करने हेतु ग्राम पंचायत द्वारा मौका निरीक्षण हेतु जिन तीन सदस्यों की कमेटी बनाई गई है उसमें एक सदस्य गैर निगराकार संख्या 1 सीता देवी का पति है जो तत्कालीन उप सरपंच भी था। गैर निगराकार संख्या 1 द्वारा जिस भूखण्ड का अपने कब्जे के आधार पर आवंटित कराने हेतु आवेदन दिया है उसके समीप वाले भूखण्ड पर कब्जे के आधार पर सीता देवी के पति राजेन्द्र कुमार को पट्टा संख्या 2 के जरिए भूखण्ड दिया है। इस प्रकार एक ही परिवार के सदस्यों द्वारा अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर विपक्षी ग्राम पंचायत से विधि विपरीत तरीके से पट्टे जारी करवा कर भूखण्ड आवंटित कराये हैं जो निरस्त योग्य है। अतः निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर गैर निगराकार संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा कमांक 3 दिनांक 05.10.2009 निरस्त फरमाया जावे।

अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 का मुख्य कथन यह रहा कि उक्त निगरानी माननीय न्यायालय में पोषणीय (मेन्टनेबल) ही नहीं है क्योंकि जिन पंचायत नियमों मे अन्तर्गत आवंटन हुआ है उसके विरूद्ध उन्ही नियमों में अपील का प्रावधान है और जहां अपील का प्रावधान होता है वहां निगरानी नहीं चल सकती। पट्टा दिनांक 05.10.2009 का है जबकि निगरानी दिनांक 23.03.2015 को अर्थात् लगभग 6 वर्ष बाद प्रस्तुत की गई है। मेरीट्स पर निवेदन है कि पूरी की पूरी प्रावधिक विधिक प्रकिया अपनायी गयी है अधीनस्थ पंचायत का रेकार्ड इसका प्रमाण है। यह आरोप भी मिथ्या है कि कोई अनैतिक प्रभाव के आधार पर यह

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

जिला कलेक्टर
चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण संख्या 04/2015 (नि.पं.)
पंचायत समिति चित्तौड़गढ़ जरिये विकास अधिकारी चित्तौड़गढ़ बनाम श्रीमति सीता देवी पत्नि राजेन्द्र कुमार भट्ट निवासी विजयपुर वगैरा

आवंटन हुआ हो पात्रता के आधार पर ही पट्टा जारी हुआ है। अतः निगरानी निरस्त फरमावें।

अधिवक्ता विपक्षी संख्या 2 का मुख्य कथन यह रहा कि ग्राम पंचायत विजयपुर द्वारा गैर निगराकार संख्या 1 को जिस भूखण्ड का पुश्तैनी पट्टा जारी किया गया है उस पर कोई निर्माण नहीं होकर मात्र कब्जे के आधार पर भूखण्ड जारी किया गया है।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों एवं ग्राम पंचायत विजयपुर से प्राप्त रेकार्ड का गहनता से अवलोकन किया। प्रकरण में सर्वप्रथम यह सुनिश्चित किया जाना है कि ग्राम पंचायत के आदेश के विरूद्ध अपील का प्रावधान होने तथा निगरानी विलम्ब से प्रस्तुत करने की स्थिति में प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र मेन्टनेबल है अथवा नहीं। राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 की धारा 61 के अन्तर्गत पंचायत के आदेशों की अपील पंचायत समिति को 30 दिवस के भीतर-भीतर किये जाने का प्रावधान है। इसी प्रकार अधिनियम की धारा 97 के अन्तर्गत किसी भी पंचायतीराज संस्था या उसकी किसी स्थाई समिति या उप समिति का अभिलेख उनमें पारित किसी भी विनिश्चय या आदेश के सही होने उसकी विधिकता या औचित्य के बारे में या ऐसी कार्यवाहियों की नियमितता के बारे में पुनरीक्षण और पुनरावलोकन की शक्तियाँ जिला कलक्टर को प्रदत्त की गई है। अधिनियम के उक्त प्रावधानों से यह स्पष्ट है कि धारा 61 के तहत किये गये अपील प्रावधानों के अन्तर्गत यदि कोई व्यक्ति अपील नहीं करता है तो धारा 97 के अन्तर्गत निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने में किसी प्रकार की रोक नहीं है। क्योंकि धारा 97 के तहत जिला कलक्टर को पुनरीक्षण और पुनरावलोकन की शक्तियाँ प्रदान की गई है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज्युरिडक्शन की श्रेणी में आता है। अतः अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 का यह कथन की अधिनियम में अपील का प्रावधान होने से तथा निगरानी विलम्ब से प्रस्तुत करने से खारीज योग्य है, मानने योग्य नहीं है।

ग्राम पंचायत विजयपुर द्वारा विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में पुराने/कच्चे मकानों का नियमितीकरण के आधार पर नियम 157 (2) के तहत प्रारूप-23''ख'' में पट्टा कमांक 3 दिनांक 05.10.2009 जारी किया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में जिस भूखण्ड का पट्टा जारी किया गया है वहां भूखण्ड खाली होकर उस पर कोई निर्माण ही नहीं है जबकि पंचायतीराज के नियमों के अन्तर्गत नियम 157 (2) के तहत ऐसे परिवार, जिनके पास कहीं भी कोई गृह या गृह स्थल नहीं है और जिनका वर्ष 2003 तक झुग्गी-झोपडी/कच्चे गृह के निर्माण के तौर पर आबादी भूमि पर कब्जा है, अधिकतम 300 गज तक कब्जे के मुफ्त विनियमितीकरण के हकदार होंगे। ऐसी भूमि पर पट्टा प्रारूप-23 ''ख'' में ऐसी महिला को जारी किया जायेगा, जो ऐसे परिवार की मुखिया हो। किन्तु ग्राम पंचायत विजयपुर द्वारा पंचायती राज नियमों को ताक में रखकर

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

जिला कलेक्टर
चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

विपक्षी संख्या 1 को नाजायत लाभ पहुंचाने की नियत से खाली भूखण्ड पर ही पट्टा जारी कर दिया गया है।

ग्राम पंचायत विजयपुर द्वारा मौका निरीक्षण हेतु जिन तीन सदस्यों की कमेटी बनाई गई है उसमें भी एक सदस्य श्री राजेन्द्र कुमार भट्ट जो कि विपक्षी संख्या 1 का पति है वह सदस्य है तथा उक्त निरीक्षण रिपोर्ट कब तैयार की गई है उस पर कोई दिनांक भी अंकित नहीं है। ग्राम पंचायत से प्राप्त पत्रावली/रेकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी करने से पूर्व पूर्ण जांच नहीं कर मात्र कागजी खानापूर्ति की है। ग्राम पंचायत द्वारा आपत्तियां आमंत्रित करने हेतु जारी सूचना-पत्र को देखने से स्पष्ट है उस पर न तो नोटिस कमांक अंकित किया है और न ही जारी करने की दिनांक अंकित की गई है तथा उक्त सूचना पत्र को ग्राम के सार्वजनिक स्थान पर चस्पा कराने संबंधी कोई साक्ष्य/सबूत भी पत्रावली में उपलब्ध नहीं है तथा न ही उक्त सूचना पत्र पर किसी व्यक्ति की उपस्थिति में चस्पा कराने अथवा चस्पा करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर है तथा न ही पंचायत की मोहर अंकित है। उक्त तथ्यों के आधार पर गैर निगराकार संख्या 1 के पक्ष में दिनांक 05.10.2009 को पट्टा जारी करने की कार्यवाही उचित प्रतीत नहीं होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत विजयपुर द्वारा गैर निगराकार संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा कमांक 03 दिनांक 05.10.2009 निरस्त किया जाता है।

'निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।'

(शिवांगी स्वर्णकार)
जिला कलेक्टर
चित्तौड़गढ़

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official